न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 61/2025

राजस्थान सरकार जरिये रामगोपाल भॉबी, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पो.स.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) केकडी (अजमेर)

.....**प्रार्थी**

बनाम

सांई किसान सेवा केन्द्र सावर जिला अजमेर जरिये सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप सैन हाल प्रोपराईटर मैसर्स सांई किसान सेवा केन्द्र सावर अजमेर

.....**अप्रार्थी**

उपस्थित :–

श्री रामगोपाल भॉबी उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी प्रार्थी

श्री सत्यनारायण अप्रार्थी

उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के नियमों का उल्लघंन करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत

आदेश

दिनांक– 01.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 31.07.2025 को श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) कृषि आयुक्तालय जयपुर के द्वारा दुरभाष के माध्यम से सूचित किया गया कि ग्राम गोरधा में उर्वरक की गाड़ी खाली हो रही है, और बिना लाईसेंस के खाद बेचा जा रहा है। उक्त आदेश के कम में सहायक निदेशक कृषि (वि.) केकड़ी द्वारा दिये निर्देशो की पालना में मौका निरीक्षण किया गया मौके पर एक ट्रेलर गाड़ी में नीम लेपित यूरिया उर्वरक के कट्टे रखे हुये जिनकी संख्या 308 की जो बिल जॉच करने पर मैसर्स सांई किसान सेवा केन्द्र सावर का पाया गया। निरीक्षण के दौरान भण्डारण एवं विक्रय परिसर में उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओ का उल्लंघन पाया। निरीक्षण के वक्त फर्म के अनुज्ञा पत्र में गोदाम (एड) नहीं होने अवैध भण्डारण का संदेह होने पर यूरिया उर्वरक 868 बैग उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा (1) (डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई। इस प्रकार अमानक उर्वरको का निर्माण एवं भण्डारण उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश के धारा 19 का स्पष्ट उल्लघंन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उर्वरक एवं आवश्यक वस्तु होने के कारण जब्तशुदा उर्वरक का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अन्तर्गत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 31.07.2025 को श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) कृषि आयुक्तालय, जयपुर के

जिला कलक्टर
अजमेर

द्वारा दुरभाष के माध्यम से सूचित किया गया कि ग्राम गोरधा में उर्वरक की गाडी खाली हो रही है, और बिना लाईसेंस के खाद बेचा जा रहा है। उक्त आदेश के क्रम में सहायक निदेशक कृषि (वि.) केकड़ी द्वारा दिये निर्देशो की पालना में मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर एक ट्रेलर गाडी में नीम लेपित यूरिया उर्वरक के कट्टे रखे हुये जिनकी संख्या 308 की जो बिल जॉच करने पर मैसर्स सांई किसान सेवा केन्द्र सावर का पाया गया। फर्म के मालिक श्री सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप सैन जिनका अनुज्ञा पत्र एफआर/2022–23/20796 दिनांक 26.11.2022 को जारी एवं वैधता दिनांक 16.10.2027 अंकित थी। निरीक्षण के दौरान भण्डारण एवं विक्रय परिसर में उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओ का उल्लंघन पाया। अवैध भण्डारण का संदेह होने पर गहनता जॉच की गई। निरीक्षण के वक्त फर्म के अनुज्ञा पत्र में गोदाम (एड) नहीं होने अवैध भण्डारण का संदेह होने पर यूरिया उर्वरक 868 बैग उर्वरक गुण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई। पाये गये संदिग्ध अवैध उर्वरक भण्डारण को लेकर फर्म मालिक ने बताया कि बारिश अधिक होने के कारण रास्ते खराब हो गये है, तथा गोदाम में छत टपकने और उर्वरक निर्माता कम्पनी द्वारा गाडी की डिलेवरी कर देने के कारण परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से मौसम सही होने तक माल को मेरे रिस्तेदार श्री मूलचंद जी ग्राम गोरधा के यहां 560 कट्टे उतार दिये है। दिनांक 31.7.2025 को परिवादी उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पो.स.) द्वारा राज एग्री क्यू सी एप्प के माध्यम से उर्वरक नमूने ऑनलाईन आहरित किये गये। यूरिया उर्वरक की मात्रा 868 बेग (प्रति बेग 45 किलोग्राम) को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा हेतु श्री भानू प्रताप सिंह शक्तावत सहायक व्यवस्थापक मोटालाव ग्राम सेवा सहकारी समिति सावर को सुपुदर्गी दी जाकर सुपुदर्गी पत्र एवं उर्वरक को खुर्द बुर्द नहीं किया जाने का शपथ पत्र प्राप्त कर अभिरक्षा में दिया गया। उर्वरक आवश्यक वस्तु होने के कारण उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 के धारा 28 (3) के प्रावधानुसार जिला कलक्टर महोदय को जब्त किये गये उर्वरक बाबत अवगत कराया गया। इस प्रकार अमानक उर्वरको का निर्माण एवं भण्डारण उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 के धारा 19 का स्पष्ट उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उर्वरक एवं आवश्यक वस्तु होने के कारण जब्त शुदा उर्वरक का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अन्तर्गत किये जाने हेतु आदेश फरमावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 31.07.2025 को सावर में भारी बारिश होने के कारण तथा रास्ता खराब होने के कारण व गाडी बड़ी होने के कारण तथा कम्पनी से माल की डिलीवरी अभी लग जाने के कारण एवं मेरे लाईसेंसधारी गोदाम की छत टपकने की वजह से मैने मेरे रिश्तेदार ग्राम गोरधा में मौसम ठीक होने तक माल रखवा दिया। माल उतरा भी नहीं कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा मेरा माल जब्त कर लिया गया। माल जब्त देर रात्रि में किया गया तत्पश्चात् मेरे द्वारा पूर्ण वाक्या बताया गया किन्तु उन्होने मेरी बात मानने से साफ इन्कार कर दिया गया। अतः जब्तशुदा सामान 868 कट्टे नीम लेपित यूरिया को फर्म को लौटाते हुए अप्रार्थी के विरूद्व दर्ज प्रकरण का निस्तारण कर क्षमा प्रदान करे। अप्रार्थी को जब्तशुदा सामान प्राप्त होने पर किसानो को समय पर यूरिया का वितरण किया जा सकेगा।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.07.2025 को सयुक्त निदेशक कृषि (गु. नि.) कृषि आयुक्तालय जयपुर के द्वारा दुरभाष के माध्यम से सूचित किया गया कि ग्राम गोरधा में उर्वरक की गाड़ी खाली हो रही है, और बिना लाईसेंस के खाद बेचा जा रहा है। उक्त आदेश के कम में सहायक निदेशक कृषि (वि.) केकड़ी द्वारा दिये निर्देशो की पालना में मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर एक ट्रेलर गाडी में नीम लेपित यूरिया उर्वरक के कट्टे रखे हुये जिनकी संख्या 308 की जो बिल जॉच करने पर मैसर्स साई किसान सेवा केन्द्र सावर का पाया गया। फर्म के मालिक श्री सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप सैन जिनका अनुज्ञा पत्र एफआर/2022–23/20796 दिनांक 26.11.2022 को जारी एवं वैधता दिनांक 16.10.2027 अंकित थी। निरीक्षण के दौरान भण्डारण एवं विकय परिसर में उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 का उल्लंघन पाया। अवैध भण्डारण का संदेह होने पर गहनता जॉच की गई। निरीक्षण के वक्त फर्म के अनुज्ञा पत्र में गोदाम (एड) नहीं होने अवैध भण्डारण का संदेह होने पर यूरिया उर्वरक 868 बैग उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई। पाये गये संदिग्ध अवैध उर्वरक भण्डारण को लेकर फर्म मालिक ने बताया कि बारिश अधिक होने के कारण रास्ते खराब हो गये है, तथा गोदाम में छत टपकने और उर्वरक निर्माता कम्पनी द्वारा गाड़ी की डिलीवरी कर देने के कारण परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से मौसम सही होने तक माल को मेरे रिश्तेदार श्री मूलचंद जी ग्राम गोरधा के यहां 560 कट्टे उतार दिये है। दिनांक 31.07.2025 को परिवादी उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पो.स.) द्वारा राज एग्री क्यू सी एप्प के माध्यम से उर्वरक नमूने ऑनलाईन आहरित किये गये। यूरिया उर्वरक की मात्रा 868 बेग (प्रति बेग 45 किलोग्राम) को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा हेतु श्री भानू प्रताप सिंह शक्तावत सहायक व्यवस्थापक मोटालाव ग्राम सेवा सहकारी समिति सावर को सुपुर्दगी दी जाकर सुपुर्दगी पत्र एवं उर्वरक को खुर्द बुर्द नहीं किया जाने का शपथ पत्र प्राप्त कर अभिरक्षा में दिया गया। उर्वरक आवश्यक वस्तु होने के कारण उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 के धारा 28 (3) के प्रावधानुसार जिला कलक्टर को जब्त किये गये उर्वरक बाबत अवगत कराया गया। इस प्रकार उर्वरक का अवैध भण्डारण उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 के धारा 19 का स्पष्ट उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा जब्तशुदा नीम लेपित यूरिया उर्वरक 868 बेग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (वि.) केकड़ी जिला अजमेर उक्त यूरिया उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करावें। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर